

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/3690/22/वि-12/ग्रासविप्रा/ई-10/2022

भोपाल, दिनांक 11 / 03 / 2022

कोटेशन सूचना

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय में निम्नलिखित अपलेखित सामग्री विक्रय किये जाने हेतु दिनांक 28/03/22 दोपहर 3:00 बजे तक ख्याती प्राप्त ऐजेंसियों से मुहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं, उच्चतम दरें प्रस्तुत करने वाली ऐजेंसियों को सामग्री प्रदाय की जावेगी। उक्त कोटेशन दिनांक 28.03.22 को अपराह्न 4:00 बजे उपस्थित कोटेशन प्रस्तुत कर्ताओं के समक्ष खोले जावेंगे।

स. क	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित क्रय वर्ष	दर प्रतिनग / प्रतिकिलो
1	रिवाल्विंग/एक्यूकेविटव 01/विजिटर चेयर	10 नग	2007	
2	वॉल फेन	05 नग	2008-12	
3	वाहन के टायर	15 नग	2017-18	
4	दैनिक समाचार पत्र	60 नग	2020-21	
5	18 वाट विद्युत लाइट कवर	16 नग	2007	
6	एमप्ली फायर	04 नग	2010	
7	विद्युत से निकला हुआ वेस्टेज सामग्री	5 कि. ग्रा	---	
8	टेपरिकार्डर	01 नग	2007	
9	माइक आंहुजा	09 नग	2014	
10	दीवार घडी	03 नग	2013	
11	यूपीएस 5 kva(बिना बैटरी)	02 नग	2011	
12	टेबल टॉप	04 नग	2003	
13	सेनेटाइजर की खाली कुपी 5 ली.	55 नग	2021	
14	टाइलेट फलश टैंक	01 नग	2007	
15	एल्यूमीनियम सीडी	01 नग	2007	
16	एक्वागार्ड	01 नग	2015	
17	यूपीएस छोटा 600 VA	03 नग	2018	
18	प्लास्टिक/लोहे का टूटा स्टूल/चेयर	02 नग	2007	
19	लेपटॉप चार्जर खराब	10 नग	2007-14	
20	यूपीएस बैटरी	10 नग	2013	
21	मोबाइल सेट	05 नग	2010	
22	बीजीए केबल 20 मी.	01 नग	2014	
23	डोर क्लोजर	03 नग	2007	
24	प्रोजेक्टर स्टैंड डंडा	01 नग	2007	
25	प्रोजेक्टर पर्दा	01 नग	2007	
26	टायलेट शीट कवर	01 नग	2007	
27	पर्दे के वटीईकल स्टैंड डंडा	02 नग	---	

निरंतर :-

स. क	सामग्री का नाम	मात्रा	अनुमानित क्रय वर्ष	दर प्रतिनग / प्रतिकिलो
28	एल्यूमिनियम लोहा मिक्स	6 कि. ग्रा	---	
29	डीजिटल होम कन्ट्रोलर यूपीएस मशीन	01 नग	---	
30	केन चेर	01 नग	---	
31	प्रिंटर काट्रेज	30 नग	---	
32	सेनिटाइजर मशीन	01 नग	---	
33	केलकूलेटर	14 नग	---	
34	स्टेपलर	07 नग	---	

1. निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. उक्त सामग्री की प्राप्त दरें को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
3. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
4. विक्रय की जाने वाली सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में आकर किया जा सकता है।
5. सामग्री जहाँ जैसी है, स्थिति में क्रेता को प्राधिकरण कार्यालय से लेकर जाना होगा।
6. तालिका में अंकित मात्राएं अनुमानित है। प्रदाय/भुगतान वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जावेगा।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

प्रतिलिपि :-

क्रमांक / 369 / 22 / वि-12 / ग्रासविप्रा / ई-10 / 2022

भोपाल, दिनांक 11 / 03 / 2022

1. मेसर्स
2. आई.टी. शाखा को कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचानार्थ।
3. नोटिस बोर्ड हेतु।

महाप्रबंधक (प्रशासन)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल